कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखण्ड,देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-169/2017-18/

दिनांक : /05/2018

सेवा में,

नगर पंचायत,

भीमताल

जनपद- नैनीताल

वषय : नगर पंचायत भीमताल, जनपद- नैनीताल का वर्ष **2014-15** से 2016**-17** का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग II (अ) में शून्य प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में 0**2** प्रस्तर एवं STAN शुन्य प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग-2 (अ) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या स चव, शहरी वकास, उत्तराखण्ड शासन एवं भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-169/2017-18/ दिनांक : /05/2018

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 43/6 माता मंदिर, धर्मपुर, देहरादून

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (आ डट) निदेशालय, द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1**69** वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ धकारी नगर पंचायत गंगोलीहाट, जनपद पथौरागढ़, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ धकारी नगर पंचायत गंगोलीहाट, जनपद पथौरागढ़, के वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लेखा अ भलेखों की लेखा परीक्षा श्री प्यारेलाल शर्मा सहायक लेखापरीक्षा एवं श्री एस.के.डंग, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 13.03.2018 से 16.03.2018 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री .... सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री ...., लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **13.03.2018** से **16.03.2018** तक संपादित की गयी थी जिसमें **04/2012** से **03/2015** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **661.678 हेक्टेयर**
(ii) जनसंख्या: **-**
(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **07**
(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **04**
(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**
(vi) कर्मचारियों की संख्या: **01**
(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ:
(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट:
(ix) योजनाओं की संख्या:
(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:
(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:
(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:
(द) लाभार्थियों की संख्या:
(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि:
(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय
(अ) सामान्य :
(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये |
(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया:

भाग-**I. 2(ii)(**अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पोखरी, जनपद-चमोली को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण										
										समस्त धनराशि (`) में
वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना (NP)**		**गैर स्थापना (P)**		**अवशेष**			
							स्थापना (NP)		**गैर स्थापना (P)**	
	स्थापना (NP)	**गैर स्थापना (P)**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2014-15	**0.00**	**13.34**	**0.00**	**0.00**	**21.95**	**4.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30.63**
2015-16	**0.00**	**30.63**	**0.00**	**0.00**	**128.31**	**85.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73.65**
2016-17	**0.00**	**73.65**	**0.00**	**0.00**	**61.34**	**44.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90.57**
योग	**0.00**	**117.62**	**0.00**	**0.00**	**211.60**	**134.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194.85**

लेखों पर टिप्पणीः-

1.लेखो का रखरखाव NMAM के आधार पर निर्धारित प्रारुप में दोहरी लेखा प्रणाली द्वारा नहीं कया जाता था।

2. बैंक समाधान ववरण तैयार नहीं कया गया था।

3. माह के अन्त के तलन पत्र नहीं बनाया जा रहा था।

4. वर्ष के अन्त में एक बही धनरा श असमायोजित रहती थी जिसका तात्पर्य यह है क कार्य योजनाओं का सम्पादन समयान्तर्गत नहीं कया जा रहा था जिसके कारण कार्ययोजनाओं से प्राप्त होने वाले उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी तथा स्थानीय जनता को उक्त योजनाओं का लाभ नहीं मल पा रहा था।

(ब)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17
प्रारम्भिक शेष	13.34	30.63	73.65
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	21.95	128.31	61.34
(क) केन्द्रांश (13 वा वत्त)	6.02	0.23	14.99
(ख) राज्याशं (राज्य वत्त)	15.93	125.02	37.79
(ग) अन्य प्राप्तियाँ	0.00	3.06	8.56
व्यय	4.66	85.29	44.42
अंतिम शेष	30.63	73.65	90.57

2(ii) - स   नगर पंचायत गंगोलीहाट मे वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक प्राप्तियो तथा व्यय का विवरण।

क0स0	मद का नाम	2014-15	2014-15	2014-15	2014-15	2015-16	2015-16	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17	2016-17	2016-17	अवशेष
	वर्ष मे प्राप्तियॉ	प्रा0 शेष	प्राप्त	कुल योग	व्यय	प्रा0 शेष	प्राप्त	योग	व्यय	प्रा0 शेष	प्राप्त	योग	मे व्यय	
1	13वा / 14वा वित्त	0.00	6.02	6.02	0.00	6.02	0.00	6.02	6.02	0.00	8.84	8.84	0.00	8.84
2	स्वच्छ भारत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	6.15	6.38	0.00	6.38
	कुल योग	0.00	6.02	6.02	0.00	6.02	0.23	6.25	6.02	0.23	14.99	15.22	0.00	15.22

2(ii)- (स)

नगर पंचायत गंगोलीहाट

विगत तीन वर्षो केन्द्र पोषित योजनाओं से प्राप्त/व्यय धनराशि का विवरण

	योजना का नाम	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त	व्यय	अवशेष
2014–15	स्वच्छ भारत	0	0	0	0
2014–15	13वां वित्त	0	6.02	0	6.02
	योग	**0**	**6.02**	**0**	6.02
2015–16	स्वच्छ भारत	0	0.23	0	0.23
2015–16	13वां वित्त	6.02	0.00	6.02	0.00
	योग	**6.02**	**0.23**	**6.02**	**0.23**
2016–17	स्वच्छ भारत	0.23	6.15	0.00	6.38
2016–17	13वां वित्त	0.00	8.84	0.00	8.84
	योग	0.23	14.99	0.00	15.22

नगर पंचायत गंगोलीहाट मे वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक प्राप्तियो तथा व्यय का विवरण।

क0स0	मद का नाम	2014-15	2014-15	2014-15	2014-15	2015-16	2015-16	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17	2016-17	2016-17	अवशेष
	वर्ष मे प्राप्तियॉ	प्रा0 शेष	प्राप्त	कुल योग	व्यय	प्रा0 शेष	प्राप्त	योग	व्यय	प्रा0 शेष	प्राप्त	योग	मे व्यय	
1	राज्य वित्त से	8.84	3.07	11.91	3.07	8.84	17.68	26.52	17.72	8.80	17.68	26.48	19.16	7.32
2	13वां वित्त	0.00	6.02	6.02	0.00	6.02	0.00	6.02	6.02	0.00	8.84	8.84	0.00	8.84
3	अवस्थापना	4.50	11.21	15.71	1.59	14.12	31.64	45.76	11.86	33.90	20.11	54.01	14.20	39.81
4	मा0मु0घो0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.70	75.70	48.04	27.66	0.00	27.66	11.06	16.60
5	सूड़ा	0.00	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	पालिका निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	3.06	0.00	3.06	3.42	6.48	0.00	6.48
7	स्वच्छ भारत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	6.15	6.38	0.00	6.38
8	अर्जित ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	5.14	0.00	5.14
	कुल योग	13.34	21.95	35.29	4.66	30.63	128.31	158.94	85.29	73.65	61.34	134.99	44.42	90.57

भाग 2(ब)

प्रस्तर 1:- नगरीय ठोस अप शष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के नियमों का पालन न करना।

नगरीय ठोस अप शष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 (municipal Solid Waste Management & Handling 2000) के अनुसार प्रत्येक नगर पा लका परिषद/नगर पंचायत प्रा धकरण नगरीय ठोस अप शष्ट के वतरण हेतु उसका संग्रहण, पृथक्करण परिवहन प्रंसस्तरण एवं निपटान (Collection Storage Sogregation, Transportation, Processing & Disposal) के लए उत्तरदायी होगा। उक्त कार्य नगर पंचायत द्वारा स्वयं या कसी एजेन्सी के माध्यम से भी करा सकता है।

उक्त नियमों के अनुसार नगर पंचायत को राज्य प्रदूषण बोर्ड से अनाप त्त प्रमाणपत्र प्र धकार पत्र प्राप्त करना होगा। नगरीय ठोस अप शष्ट के जेब अपघटनीय और गैर जेब अपघटनीय अप शष्टों का सुर क्षत संग्रहण एवं पृथक्करण करना होगा। अप शष्टों का भण्डार खुले वातावहण में न हो तथा भण्डार सु वधाएं हेतु बिन्स का उपयोग हो तथा पुर्नचक्रण (Recycleing) अप शष्ट के लए बिन्स सफेद रंग के होगे जब क अपघटनीय अप शष्टों के भण्डारण के लए बिन्स हरे रंग तथा अन्य अप शष्टों के भण्डारण के लए बिन्स सफेद रंग के होगे। कूड़ा परिवहन हेतु बर्द वाहनों का उपयोग हो ता क कूड़ा सडको पर न फैले तथा लोगों को न दिखे और बीमारी फैलने की सम्भावना न हो। नगर पंचायत ठोस अप शष्ट के प्रबन्धन हेतु आय बढाने के लए व्यवसायी संस्थानों जैसे होटल, बारात घर एवं अस्पतालो पर यूजर चार्जिज लगा सकती है।

व्यवसायिक केन्द्रों को कूड़ा पृथक्करण संस्थाओं में ही करना होगा। ट्रे चंग ग्राउण्ड़ आबादी से दूर हो। नगर पंचायत में अ भलेखों की जाँच में पाया गया क वभाग द्वारा उक्त नियमों का पालन नहीं कया जा रहा है वभाग द्वारा पृथक्करण की व्यवस्था नहीं की गई है तथा बन्द वाहनों का उपयोग एवं ट्रे चंग ग्राउण्ड़ की सु वधा नहीं है जिसके कारण कूड़े का निस्तारण खुले वातावरण में ही कया जा रहा है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर यूजर चार्जित का प्रावधान नहीं कया गया है। तथा राज्य प्रदूषण बाड़ से भी अनाप त्त प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कया गया है। उक्त कार्य एजेन्सी के माध्यम से पर्यावरण मत्रों द्वारा कराए जा रहे है।

इं गत कए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया क वर्तमान में उक्त नियमों का पालन नहीं हो रहा है तथा प्रदुषण बोर्ड से पत्राचार कर अनाप त्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर लया जाएगा। बायलाज बनाए गए है तथा यूजर चार्जित की कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्यों क भारत सरकार द्वारा स्पष्ट निदे शत तथा क उक्त नियमों का पालन वर्ष 2014 तक होना अनिवार्य है परन्तु तीन वर्ष की अव ध के पश्चात भी उक्त नियमों का पालन नहीं करना शासनादेशों का उल्लंघन है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 2:- रु. 9.00 लाख का अनिय मत क्रय ।

वभाग को 14वाँ वत्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में प्राप्त रु. 17.00 लाख के सापेक्ष वभाग द्वारा रु. 9.00 लाख की 36 LED Solar Light का क्रय M/S Ganpati Gleet 20 Poner kaladungi, Nanital से कोटेशन के माध्यम से कया गया। जब क वत्तीय क्रय नियमावली 2008 में स्पष्ट उल्लेख है क रु. 3.00 लाख से अ धक सामग्री क्रय हेतु नि वदा प्र क्रया को अपनाया जाना अनिवार्य है। परन्तु वभाग द्वारा वत्तीय नियमों का अनुपालन न कर नि वदा प्र क्रया से बचने हेतु टुकड़ों में रु. 9.00 लाख का क्रय कोटेशन द्वारा कया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क भ वष्य में क्रय हेतु टेण्डर प्र क्रया का पालन कया जायेगा।

अतः वत्तीय नियमों की अनदेखी का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

(क) **परिचयात्मक** : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भीमताल, जनपद- नैनीताल** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **03/2016** तक की संप्रेक्षा श्री हिंमाशु शर्मा, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक **16.03.2018** से **23.03.2018** तक संपादित की गयी |

(ख) **विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण**:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या**	**STAN प्रस्तर संख्या**
पहली लेखापरीक्षा			

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

शून्य

<u>भाग – V</u>
<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गंगोलीहाट, जनपद-पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i) वर्ष 2016-17 की रोकड़ बही एवं बाऊचर्स
(ii) अनुदान पंजी, बैंक समाधान विवरण, चैक निर्गत पंजी
(iii) कार्य पंजी, भंडार पंजी 2015-16, 2016-17

2. सतत अनियमितताएँ**: शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	श्री पान सिंह बोहरा	अधिशासी अधिकारी	
02.			

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गंगोलीहाट, जनपद-पिथौरागढ़** को पत्रांक संख्या स्था.नि./ले.प./न.ले.प.टि./2017-18/35 दिनांकित 23.11.2017 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून-248 195** को प्रेषित कर दी जाय |

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
स्थानीय निकाय